राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालदेवता, रायपुर, देहरादून।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में छात्रसंघ निर्वाचन हेतु सामान्य नियम

1. छात्र संघ का निर्वाचन गोपनीय मतदान द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया जाएगा।
2. छात्र संघ कार्यकारिणी में अधिकतम 11 सदस्य होगें, जिनमें 05 पदाधिकारी क्रमशः अध्यक्ष–01, उपाध्यक्ष–01, महासचिव–01, सहसचिव–01, एवं कोषाध्यक्ष–01, तथा 06 कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित होंगे। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रतिनिधि (यू0आर0)–01 होगा। जिसे प्रत्यक्ष मतदान से चुना जायेगा, तथा निर्वाचन के पश्चात 06 छात्र/छात्राओं को उनकी शैक्षिक योग्यता एवं अन्य श्रेष्ठतम् उपलब्धि के आधार पर परिसर छात्रसंघ में नामित किया जायेगा।
3. छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह चुनाव सम्पन्न होने के आधा घण्टा (1/2 घण्टा) के भीतर सम्पन्न होना अनिवार्य होगा।
4. निर्वाचन हेतु स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु आयु सीमा 17 से 22 वर्ष, तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु अधिकतम 25 वर्ष होगी।
5. छात्र/छात्रा सम्बंधित संस्था का पूर्णकालिक विद्यार्थी हो, अर्थात उसने संस्था के किसी पाठ्यक्रम में विधिवत् प्रवेश लिया हो, एवं निर्धारित शुल्कों का भुगतान किया हो अर्थात बोनाफाइड स्टूडेंट हो।
6. छात्र/छात्रा ने अपनी पूर्व परीक्षा छात्र संघ निर्वाचन हेतु नामांकन की तिथि से पूर्व बिना शैक्षणिक अवशेश (ऐकेडेमिक एरियर) के उत्तीर्ण कर ली हो।
7. छात्र/छात्रा किसी कक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरान्त उसी कक्षा में एक विषय से उपाधि प्राप्त करने के लिए अध्ययन न कर रहा हो।
8. छात्र ने प्रवेश की तिथि से अपनी समस्त कक्षाओं में पृथक–पृथक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति दी हो। उपस्थिति का प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब (अ) स्नातक छात्रों के लिएः– चयनित विषयों के विभाग प्रभारी पृथक–पृथक तथा (ब) स्नातकोत्तर स्तर पर सम्बंधित विषय के विभाग प्रभारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएगें।
9. जो प्रत्याशी छात्र संघ का पदाधिकारी निर्वाचित होने हेतु एक बार अथवा कार्यकारिणी का सदस्य निर्वाचित होने हेतु दो बार चुनाव लड़ चुका हो वह छात्र संघ का कोई भी चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य होगा।
10. प्रत्येक सत्र में 01 जुलाई को जो प्रत्याशी बिन्दु 04 में निर्दिष्ट आयु सीमा की परिधि में नहीं आते वे छात्र संघ का चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य होंगे।
11. यदि किसी प्रत्यााशी की पृष्ठभूमि आपराधिक हो तो वह छात्र संघ चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य होगा। इस सन्दर्भ में अपनी अपराध मुक्त पृष्ठभूमि के प्रमाण स्वरूप प्रत्याशी को एक शपथ पत्र नामाकंन के समय प्रस्तुत करना होगा।
12. यदि कोई प्रत्याशी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/परिसर प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप दण्डित किया जा चुका हो तो वह चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य होगा।
13. प्रत्याशी का अधिकतम चुनावी खर्च रू0 25000 (रूपए पच्चीस हजार मात्र) तक ही सीमित होगा। प्रत्येक प्रत्याशी परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर खर्च का सम्पूर्ण अंकेक्षित ब्यौरा चुनाव कार्यालय के पास जमा करेगा। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च किए जाने अथवा दो सप्ताह के भीतर ब्यौरा जमा न किए जाने की स्थिति में सम्बंधित पदाधिकारी/कार्यकारिणी सदस्य/विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रतिनिधि का चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा।
14. एक प्रत्याशी अधिकतम 03 नामांकन प्रपत्र ही प्राप्त कर सकता है।
15. नमांकन प्रपत्र का शुल्क रू0 100 एवं नांमाकन दाखिला शुल्क रू0 1000 प्रत्येक पद हेतु एवं विश्वविद्यालय छात्रसंघ प्रतिनिधि हेतु शुल्क रू0 1200 होगा, जो कि अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी